फा.1/116(20)/2021-भ.-IV

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-IVअनुभाग

पद का नाम	केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, संस्कृति मंत्रालय में सहायक संपादक (उड़िया) पदकी(01) रिक्ति पर भर्ती
विज्ञापन सं.	01/2022
रिक्ति सं.	22010101408

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा तथा लघुसूची तैयार करने संबंधी विवरण पहले दिनांक12.04.2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
- उम्मीदवारों को दिनांक26.04.2022 तक अपने अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था।

• यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया जाएगा जैसा कि पहले बताया गया है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि संशोधित जांच और शॉर्टलिस्टिंग विवरण नियत समय में अपलोड किए जाएंगे।

•इस मामले में कोई ई-मेल/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

• तदनुसार, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में कोईबदलाव नहींकिया गया है।

लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	**अ.यो-क(i)(ii) + अ.यो-ख(i)(ii)**
	अ.पि.व	-
	अ.जा.	-
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	**अनुक्रमांक**	03 **(01 उम्मीदवार)**

अस्वीकृति के मामले

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु-सूचीबद्ध नहीं किया गया है।	**अस्वीकृति की श्रेणी**	**अनुक्रमांक**
	एलईक्यू-क(ii)	01,02 एवं 04 **(03 उम्मीदवार)**

अपनाए गए मानदंड	(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार तथा इसके साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुरूप कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। (ii) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित संपूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है। (iii) संवीक्षा हेतु अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसका उल्लेख ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में किया गया है और ओआरए के अनुभव संबंधी कॉलम में अनुभव अवधि

	का उल्लेख किए बिना संलग्न किए गए प्रमाण-प्रत्रों पर विचार नहीं किया गया है। (iv) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. फा.8/84/2010-भर्ती(समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। परन्तु जिन्होंने कोई अनुबंध का उल्लेख किया हो और उसको प्रसतुत नहीं किया हो, उनके आवेदन को **'अपूर्ण'** श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। (v) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र अथवा रोजगार प्रमाण-पत्र को अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को भी संगत अनुभव में कमी की श्रेणी में विचार किया गया है परन्तु उनके आवेदन को **'अपूर्ण'** श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। (vi) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है उनपर विचार किए बिना अस्वीकार किया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परन्तु इस दावे के समर्थन में जमा किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है। संगत अवधि की केवल उस श्रेणी पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। (vii) कुछउम्मीदवारोंकोएकसेअधिकश्रेणीकेअंतर्गतअस्वीकारकियाजासकताहै।उन्हेंसर्वाधिकउपयुक्त श्रेणीकेतहतअस्वीकार कियागयाहै। (viii) जिन उम्मीदवारों ने 10वीं कक्षा तक उड़िया भाषा की पढ़ाई की है, उन्हें उड़िया भाषा में प्रवीण माना जाएगा। (ix) स्तर-6 या इससे ऊपर के स्तर के पद पर कार्य करने के अनुभव पर जिम्मेदारी की क्षमता के रूप में विचार किया गया है। **नोट:- आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर कियाजाता है।**

<u>संकेतक:</u>

एलईक्यू-क(ii) - अनिवार्य योग्यता-क(ii)में कमी

<u>उप सचिव (भ.IV)</u>

विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करणलागू होगा।